न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 24 / 2024(GCMS 2024/57)

श्री मुकेश कुमार एडवोकेट, जिला कलक्ट्रेट परिसर बी ब्लॉक चेम्बर नम्बर 80, श्रीगंगानगर

बनाम

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

23.04.2025

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मुकेश कुमार स्वयं नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.07.2023 से पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मुकेश कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.07.2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. उचित मूल्य दुकानदार शान्ति ऑटोमोबाईल्स का प्राधिकार पत्र की प्रतिलिपि, मालिक का नाम, पिता का नाम व पता सहित प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवायी जावे।
2. पोस मशीन संख्या 23260 चरणजीत सिंह का बिल वर्ष नवम्बर 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक बिल की प्रतिलिपि व नम्बर 2022 से 2023 तक कनक डिपों पर आने के संबंध में चालान की प्रतिलिपि।
3. पोस मशीन 21547 शान्ति आटो[illegible] की माह नवम्बर 2022 से जुलाई 2023 तक बिल की प्रतिलिपि व चालान की प्रतिलिपि उपलब्ध करवायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

4. मह नवम्बर 2022 से माह अगस्त 2023 तक आवंटन की सूचना कि प्रतिमाह कितना आवंटन पोस मशीन संख्या 21547 से 23260 को किया गया है, की प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
5. पोस मशीन संख्या 21535 मर्ज मई 2021 में की गई थी, उसके आदेश की प्रतिलिपि।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक रसद/आरटीआई/2167 दिनांक 23.08.2023 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया हैः

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित सूचना चाही हैः

1. उचित मूल्य दुकानदार शान्ति ऑटोमोबाईल्स का प्राधिकार पत्र की प्रतिलिपि, मालिक का नाम, पिता का नाम व पता सहित प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवायी जावे।
2. पोस मशीन संख्या 23260 चरणजीत सिंह का बिल वर्ष नवम्बर 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक बिल की प्रतिलिपि व नम्बर 2022 से 2023 तक कनक डिपों पर आने के संबंध में चालान की प्रतिलिपि।
3. पोस मशीन 21547 शान्ति आटोमोबाईल्स की माह नवम्बर 2022 से जुलाई 2023 तक बिल की प्रतिलिपि व चालान की प्रतिलिपि उपलब्ध करवायी जावे।
4. माह नवम्बर 2022 से माह अगस्त 2023 तक आवंटन की सूचना कि प्रतिमाह कितना आवंटन पोस मशीन संख्या 21547 से 23260 को किया गया है की प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
5. पोस मशीन संख्या 21535 मर्ज मई 2021 में की गई थी, उसके आदेश की प्रतिलिपि।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:22 IST
Reason: SelfAttested

इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है

बिन्दु संख्या 01 के सम्बन्ध में — यह सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित है। अतः तृतीय पक्षकार की सहमति पश्चात दी जानी संभव है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

बिन्दु संख्या 02 व 03 के सम्बन्ध में : सूचना केवीएसएस, गंगानगर से सम्बन्धित है।

बिन्दु संख्या 04 के संबंध में : सूचना ऑनलाईन पोर्टल food.raj.nic.in पर उपलब्ध है।

बिन्दु संख्या 05 के सम्बन्ध में : सूचना संलग्न पत्रावली है।

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है जिसके अनुसार बिन्दु संख्य 02 एवं 03 की सूचना केवीएसएस, गंगानगर से सम्बन्धित है, बिन्दु संख्या 4 की सूचना ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध है, बिन्दु संख्या 05 की सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है और बिन्दु संख्या 01 तृतीय पक्षकार से सम्बन्धित है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:22 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर श्रीगंगानगर

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। बिन्दु संख्या 02 व 03 के सम्बन्ध में अपीलार्थी सम्बन्धित विभाग से सूचना प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:22 IST
Reason: SelfAttested